प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : 307/एनआरएचएम/एसपीएमयू/एमडी कैम्प/2012–13/598-72 दिनाँक 27.6.2012

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु संविदा कर्मियों की तैनाती विषयक।

महोदय,

जनपदों से प्राप्त पृच्छाओं एवं दिनांक 21.06.2012 को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा की गयी वीडियो कॉन्फरेन्सिंग में बताई गई समस्याओं जिनमें जनपदों से विशेषज्ञों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति/प्रोन्नति के कारण चिकित्सा इकाइयों में गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करने में आ रही परेशानी सम्मिलित है, के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में संविदा कर्मियों की तैनाती हेतु पुनः स्पष्ट किया जाता है कि–

1. जनपद स्तर पर क्रियाशील L-1, L-2 (24x7) एवं L-3 (प्रथम सन्दर्भन इकाई) डिलीवरी प्वाइंट पर वर्तमान में मानव संसाधन की उपलब्धता, आवश्यकता एवं उपयोगिता का आंकलन कर पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष संविदा कर्मियों के तैनाती स्थल जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त परिवर्तित किए जा सकते हैं किन्तु यह आवश्यक है कि वर्तमान में क्रियाशील इकाइयों की संख्या एवं गुणवत्ता में कोई कमी न आने पाये। स्थल परिवर्तन एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम के हित में हो जिससे संविदा कर्मियों का भरपूर उपयोग किया जा सके।
2. संविदा कर्मियों की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो तथा वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु सक्षम हों।
3. यदि कोई जनपद पूर्व में स्वीकृत किए गए पदों के अतिरिक्त अधिक पद चाहते हैं तो वे उच्चीकृत की जाने वाली अतिरिक्त प्रसव इकाइयों L-2 (24x7) एवं L-3 (प्रथम सन्दर्भन इकाई) के चिन्हीकरण के साथ औचित्यपूर्ण प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त महानिदेशक परिवार कल्याण को प्रेषित करें। ऐसी स्थिति में जनपद अतिरिक्त प्रसव इकाइयों L-2 (24x7) एवं L-3 (प्रथम सन्दर्भन इकाई) को क्रियाशील करने हेतु प्रतिबद्ध होगा।
4. यदि वर्तमान समय में स्थानान्तरण या नवीन नियुक्तियों आदि के कारण जनपद में मानव संसाधन आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो गया हो तो एस0पी0एम0यू0 कार्यालय को सूचित कर दें जिससे वे पद राज्य स्तर पर सुरक्षित किए जा सकें।
5. संविदा पर इस वर्ष पृथक–पृथक पदों पर नियुक्त किए जा रहे कुल संविदा कर्मियों की संख्या के सापेक्ष यथासम्भव आरक्षण के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. उपरोक्त निर्देश अन्य पदों पर भी लागू किये जाएं।

भवदीय,

27/06/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : 307/एनआरएचएम/एसपीएमयू/एमडी कैम्प/2012–13/ तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक